कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2024 / 2514 लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

यू0पी0नीट यू0जी0 2024 के अन्तर्गत स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. राजकीय / निजी क्षेत्र मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो के आवंटन–पत्र पर प्रवेश हेतु कालेज / नोडल सेन्टर के नाम अंकित है।
2. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया आवंटित राजकीय / स्वशासी मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
3. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
4. प्रवेश के समय निम्नांकित अभिलेख मूलरूप में जमा किया जाना अनिवार्य है:–
   - यू0पी0 नीट यू0जी0 2024 का आवंटन पत्र
   - नीट यू0जी0 2024 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड
   - हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र
   - आरक्षण से संबंधित प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - डोमिसाइल प्रमाण–पत्र (आवश्यकतानुसार)
   - पहचान पत्र (आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)
5. **उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (*EWS*) अन्य पिछड़ा वर्ग (*OBC*) का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2024 अथवा इसके पश्चात् का बना ही मान्य होगा।**
6. ***निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष में निर्गत किया गया हो, नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।***
7. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का मेडिकल कालेज / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
8. शैक्षणिक सत्र 2024–25 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट https:upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।
9. यू0पी0 नीट यू0जी0–2024 की ऑन लाइन काउन्सिलिंग से राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेंटल कालेजो की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रकिया **दिनांक 30 अक्टूबर, 2024, 01 नवम्बर तथा 04 से 05 नवम्बर 2024** के मध्य पूर्ण की जायेगी।
10. **यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2025–26 के लिये प्रतिबंधित(Debar) कर दिया जायेगा।**
11. अद्यतन / महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट ***www.dgme.up.gov.in*** एवं ***https:upneet.gov.in*** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।